क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
चतुर्थ तल, बी–ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
ई–मेल : rolucknow@uppcb.in

पत्र संख्या : 700/रिट याचिका-232/2024 दिनांक : 06/8/24

To,

The Registrar General,
Principal Bench,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernics Marg, New Delhi-110001

Sub:- Regarding Response on behalf of Respondent no-2 Uttar Pradesh Pollution Control Board in the matter of O.A. No. 37/2024 Santosh Singh Versus State of UP & Ors. order dated 10.05.2024.

Sir,

In compliance to the order dated 10.05.2024 passed by this Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 37/2024 Santosh Singh Versus State of UP & Ors., the Response on behalf of Respondent no-2, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow is hereby attached with a request to put up before Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal and consideration.

Enclosure: As above

Your's Sincerely,

(Dr. Umesh Chandra Shukla)
Regional Officer,
Uttar Pradesh Pollution Control Board,
Lucknow

Copy to:

1. Chief Environment Officer (Circle-5), Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow
2. Chief Law Officer (Incharge), Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow
3. Ms. Sthavi Asthana, Advocate for UPPCB.

Regional Officer,
Uttar Pradesh Pollution Control Board,
Lucknow

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 37 of 2024

IN THE MATTER OF:

Santosh Singh **......Applicant**

Versus

State of U.P. & Ors. **......Respondent(s)**

RESPONSE ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO.-2, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 10.05.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL.

1- That the Hon'ble National Green Turbinal, New Delhi vide its order dated 10.05.2024 has passed the following directions.

"......7. UPPCB is directed to initiate proceedings for imposition of environmental compensation on respondent no.3-Project Proponent and also take requisite steps for prosecution of proprietor/manager of respondent no.3-Project Proponent in accordance with law.8. List on 09.08.2024 for final hearing.

9. Pleadings may be completed and reply/response by any of the respondents who has not filed reply/response earlier may be filed before that date if so desired. ...."

2- That in compliance to the order dated 10.05.2024, UPPCB has confirmed the Show Cause Notice dated 02/05/2024 issued against M/s Baba Brick Field Khsara no. 706, 707, Village-Karshora, Tehsil-Laharpur, Thana-Talgaon, Sitapur and issued Closer Order vide letter dated 09.07.2024 under Section 31 (A) of The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended. The Copy of the closer order dated 09.07.2024 is attached herewith as **Annexure No. 1** to this response.

3- That in compliance to the order dated 10.05.2024 letter has been sent to the District Magistrate, Sitapur and Superintendent of Police, Sitapur to take all requisite steps for ensuring that the brick kiln does not operate illegally and also for ensuring that bricks lying in the brick kiln are confiscated and sold by public

auction vide letter dated 11.06.2024. The Copy of letter dated 11.06.2024 is attached herewith as **Annexure No. 2** to this response.

4- That UPPCB has issued Show Cause Notice regarding Imposing to Environmental Compensation of Rs. 2,81,250/- (Rs. Two Lakhs Eighty-One Thousand Two Hundred Fifty Only) vide letter dated 15.07.2024 against M/s Baba Brick Field Khsara no. 706, 707, Village-Karshora, Tehsil-Laharpur, Thana-Talgaon, Sitapur. The Copy of the Show Cause Notice is attached herewith as **Annexure No.3** to this response.

5- That the questioned unit has not replied to the show cause notice dated 15.07.2024 of UPPCB. In line of the show cause notice dated 15.07.2024, UPPCB has confirmed the show cause and imposed Environmental Compensation of Rs.2,81,250/- (Rs. Two Lakhs Eighty-One Thousand Two Hundred Fifty Only) against the unit M/s Baba Brick Field Khsara no. 706, 707, Village-Karshora, Tehsil-Laharpur, Thana-Talgaon, Sitapur vide letter dated 05.08.2024. The Copy of the letter dated 05.08.2024 imposition of Environmental Compensation is attached herewith as **Annexure No.4** to this response.

6- That in pursuant to the order dated 10.05.2024 passed by this Hon'ble Tribunal, a Complaint against M/s Baba Brick Field Khsara no. 706, 707, Village-Karshora, Tehsil-Laharpur, Thana-Talgaon, Sitapur has been filed under Section-39D of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 before the Court of Special Judicial Magistrate Class First (Air and Water Pollution) Lucknow on 02.08.2024.

Therefore, the response is being filed for the perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

Yours' Sincerely

(Dr. Umesh Chandra Shukla)
Regional Officer,
Uttar Pradesh Pollution Control Board,
Lucknow

Annexure-1 An[redacted]·1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

पत्रांक संख्या—H13747 /सी–5/ 178/OA·N 37/24 दिनांक 09/07/24
पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स बाबा ब्रिक फील्ड,
खसरा संख्या–706, 707, ग्राम–करस्योरा, तह0–लहरपुर, थाना–तालगॉव,
सीतापुर 9918578420

यह कि मैसर्स बाबा ब्रिक फील्ड, खसरा संख्या–706, 707, ग्राम–करस्योरा, तह0–लहरपुर, थाना–तालगॉव, सीतापुर द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयले का प्रयोग कर ईट के उत्पादन के कार्य हेतु वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे विचाराधीन ओ0ए0 सख्या–37/2024 संतोष सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 मे पारित आदेश के अनुपालन में ईट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड के पत्रांक–एच 10197/सी–5/178/ओ0ए0 नं0–37/24 दिनांक 02.05.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31'ए' के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। भट्ठे को जारी कारण बताओ नोटिस के अनुपालन में ईट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 06.06.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा बन्द पाया गया।

यह कि निरीक्षण आख्यानुसार ईट भट्ठा खसरा संख्या–706, 707 ग्राम–करस्योरा तह0–लहरपुर थाना–तालगॉव, सीतापुर में स्थापित हैं ईट भट्ठे की चिमनी खसरा संख्या–706 पर स्थापित है। ईट भट्ठे का अक्षांश एवं देशान्तर 27.637566 एवं 80.907116 अंकित है। ईट भट्ठे की चिमनी से पूरब दिशा में लगभग 400 मी0 की दूरी पर ग्राम–करस्योरा स्थित है जिसकी आबादी 1000 से अधिक सूचित है, ईट भट्ठे के पश्चित दिशा में लगभग 700 मी0 की दूरी पर ग्राम–डेन नगर, उत्तर दिशा में लगभग–900 मी0 की दूरी पर ग्राम–वाकरनगर एवं दक्षिण दिशा में लगभग–900 मी0 की दूरी पर ग्राम–टकेली स्थित है। ईट भट्ठे की स्थापना ईट भट्ठा उ0प्र0 ईट भट्ठा (स्थापना एवं मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं की गयी है।

यह कि ईट भट्ठे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ हेतु सहमति एवं संचालन हेतु सहमति (जल एवं वायु) निर्गत नहीं है। ईट भट्ठे को खनन विभाग से मिट्टी खनन हेतु भी अनुज्ञा पत्र निर्गत नहीं किया गया है। निरीक्षण के समय भट्ठा बिना सहमति (जल एवं वायु) के संचालित पाया गया, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लघंन है। ईट भट्ठे द्वारा निवेश मित्र के माध्यम से क्षेत्रीयं कार्यालय, लखनऊ में दिनांक 03.11.2022 को प्रथम वार सहमति हेतु आवेदन किया गया, किन्तु पूर्ण सूचना/प्रपत्र उपलब्ध न कराये जाने की दशा में ईट भट्ठे के सहमति आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया गया था। राज्य बोर्ड से अनापत्ति एवं सहमति प्राप्त न होने की दशा में ईट भट्ठे पर वर्ष 2012 में जारी ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली 2012 प्रभावी होगी। ईट भट्ठा स्थल निरीक्षण के समय उक्त नियमावली के अनुरूप नही पाया गया है।

...2

टी.सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेब साइट -www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

(2)

उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्या–415 / सहमति–995 / 2024 दिनांक 08.07.2024 द्वारा उक्त ईंट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31 ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 02.05.2024 की पुष्टि करते हुए बन्दी आदेश / निर्देश जारी किये की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा– 31 'ए' के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन ईंट भट्ठा मैसर्स बाबा ब्रिक फील्ड, खसरा संख्या–706, 707, ग्राम–करस्योरा, तह0–लहरपुर, थाना–तालगॉव, सीतापुर के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 02.05.2024 की पुष्टि करते हुएनिम्नलिखित बन्दी आदेश / निर्देश जारी किया जाता है:–

1. मैसर्स बाबा ब्रिक फील्ड, खसरा संख्या–706, 707, ग्राम–करस्योरा, तह0–लहरपुर, थाना–तालगॉव, सीतापुर का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. मैसर्स बाबा ब्रिक फील्ड, खसरा संख्या–706, 707, ग्राम–करस्योरा, तह0–लहरपुर, थाना–तालगॉव, सीतापुर की विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति एवं ईंट भट्ठे को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
3. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह मैसर्स बाबा ब्रिक फील्ड, खसरा संख्या–706, 707, ग्राम–करस्योरा, तह0–लहरपुर, थाना–तालगॉव, सीतापुर को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, सीतापुर।
2. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, सीतापुर।
3. जिला खनन अधिकारी, सीतापुर।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईट भट्ठे को जारी बन्दी आदेश / निर्देश का अनुपालन कराते हुए अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

Annexure-3 By hand

Recd 13-6-24

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या H23419/सी–5/178/OA नं० 37/24 दिनांक 11-6-24

सेवा में,

1. जिलाधिकारी, सीतापुर
2. पुलिस अधीक्षक, सीतापुर

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण/समयबद्ध

File No. 3759
File No. 332
File S.
Date 13-06-24

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–37/2024 संतोष सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–10.05.2024 के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–37/2024 संतोष सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–10.05.2024(छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपरोक्त पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं–

"........*6. The District Magistrate and the Superintendent of Police, Sitapur are directed to take all requisite steps for ensuring that the brick kiln does not operate illegally and also for ensuring that bricks lying in the brick kiln are confiscated and sold by public auction............*"

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–37/2024 संतोष सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–10.05.2024 के कम में आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विधि अधिकारी, विधि अनुभाग, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

सदस्य सचिव

ND/TC/EE/SACTO

13.6. 13/06/24

टी.सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट -www.uppcb.com

TC-12-V, VibhutiKhand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

Annexure-3 ... ure-03

उत्तर प्रदेश प्रदूषण f ... ई

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H 14133 /C 5/178/OAN 37/24

Dated: 15/07/24

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स बाबा ब्रिक फील्ड,
खसरा संख्या–706, 707, ग्राम–कररयोरा, तह0–लहरपुर, थाना–तालगॉव,
सीतापुर।
M 9918575426

यह कि मैसर्स बाबा ब्रिक फील्ड, खसरा संख्या–706, 707, ग्राम–करस्योरा, तह0–लहरपुर, थाना–तालगॉव, सीतापुर द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयले का प्रयोग कर ईंट के उत्पादन के कार्य हेतु वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि बोर्ड के पत्र सं0–एच 63428/सी–5/सा0–545/21/ईट भट्ठा/बन्दी आदेश/सीतापुर/2021 दिनांक 14.07.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से ईंट भट्ठा मैसर्स बाबा ब्रिक फील्ड, खसरा संख्या–706, 707, ग्राम–करस्योरा, तह0–लहरपुर, थाना–तालगॉव, जनपद–सीतापुर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31'ए' के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया था।

यह मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–37/2024 संतोष कुमार सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.05.2024 जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है:–

"..........7. UPPCB is directed to initiate proceedings for imposition of environmental compensation on respondent no.3-Project Proponent and also take requisite steps for prosecution of proprietor/manager of respondent no.3-Project Proponent in accordance with law. 8. List on 09.08.2024 for final hearing.........."

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा अपने पत्रांक 415/सहमति–995/24 दिनांक 08.07.2024 के माध्यम से प्रेषित आख्या में मा0 एन0जी0टी0 के आदेशानुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार ईंट भट्ठे के विरूद्ध दिनांक 23.04.2024 से दिनांक 06.06.2024 तक अर्थात कुल 45 दिन डिफाल्टर मानते हुए रूपये 6,250/– प्रतिदिन के आधार पर कुल रूपये 2,81,250/– (दो लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास रूपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति का संज्ञान लेते हुए सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त ईट भट्ठा मैसर्स बाबा ब्रिक फील्ड, खसरा संख्या–706, 707, ग्राम–करस्योरा, तह0–लहरपुर, थाना–तालगॉव, जनपद–सीतापुर के विरूद्ध निम्नांकित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:–

- यह कि क्यों न मा0 एन0जी0टी0 के आदेशानुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार ईट भट्ठे के विरूद्ध दिनांक 23.04.2024 से दिनांक 06.06.2024 तक अर्थात कुल 45 दिन डिफाल्टर मानते हुए रूपये 6,250/– प्रतिदिन के आधार पर कुल रूपये 2,81,250/– (दो लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास रूपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

...2

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

उक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त वर्णित निर्देश की पुष्टि करते हुए ईट भट्ठे के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी।

कृपया नोट करे कि उपरोक्त ईट भट्ठे के विरूद्ध चल रही अथवा प्रस्तावित विधिक/दण्डात्मक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

संलग्नक-यथोपरि।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5)

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निर्धारित अवधि में पुनः ईट भट्ठे का निरीक्षण कर उपरोक्त वर्णित निर्देश के अनुक्रम में अनुवर्ती आख्या स्पष्ट संस्तुति के साथ प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5)

Annexure-4   Anne [redacted] LiFE
Lifestyle for Environment

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H15267 / C-5 / 3ई-175/24   Dated: 5-8-24
पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स बाबा ब्रिक फील्ड,
खसरा नं0–706, 707, ग्राम–करस्योरा, तहसील–लहरपुर, थाना–तालगॉव,
जनपद–सीतापुर
M 9918575420

यह कि मैसर्स बाबा ब्रिक फील्ड, खसरा नं0–706, 707, ग्राम–करस्योरा, तहसील–लहरपुर, थाना–तालगॉव, सीतापुर द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयले का प्रयोग कर ईंट के उत्पादन के कार्य हेतु वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि बोर्ड के पत्रांक–एच 14133/सी–5/178/ओ0ए0–37/2024 दिनांक 15.07.2024 द्वारा ईट भट्ठा मैसर्स बाबा ब्रिक फील्ड, खसरा नं0–706, 707, ग्राम–करस्योरा, तहसील–लहरपुर, थाना–तालगॉव, सीतापुर के विरूद्ध दिनांक 23.04.2024 से दिनांक 06.06.2024 तक कुल 45 दिन का डिफाल्टर मानते हुए रूपये 6250/– प्रतिदिन की दर से कुल रूपये 2,81,250/– (रूपये दो लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ईट भट्ठा का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पूर्व में दिनांक 22.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ऑफ सीजन होने के कारण ईट भट्ठा बन्द पाया गया। उक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक–584/सह–995/2024 दिनांक 29.07.2024 द्वारा ईट भट्ठे के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 15.07.2024 की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, लखनऊ की आख्या दिनांक 29.07.2024 का संज्ञान लेते हुए सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त ईट भट्ठा मैसर्स बाबा ब्रिक फील्ड, खसरा नं0–706, 707, ग्राम–करस्योरा, तहसील–लहरपुर, थाना–तालगॉव, सीतापुर के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 15.07.2024 की पुष्टि करते हुए निम्नवत् निर्देश जारी किया जाता है:–

- ईट भट्ठा मैसर्स बाबा ब्रिक फील्ड, खसरा नं0–706, 707, ग्राम–करस्योरा, तहसील–लहरपुर, थाना–तालगॉव, सीतापुर के विरूद्ध दिनांक 23.04.2024 से दिनांक 06.06.2024 तक कुल 45 दिन का डिफाल्टर मानते हुए रूपये 6250/– प्रतिदिन की दर से कुल रूपये 2,81,250/– (रूपये दो लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रूपये 2,81,250/– (रूपये दो लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास मात्र) का भुगतान जिसका payment gateway (URL: https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown मे निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें–

1. Nature of Pollution /प्रदूषण की प्रकृति– Air Pollution
2. Regional offices/क्षेत्रीय कार्यालय– Lucknow

...2

3. EC imposed in compliance / अनुपालन में ईसी लगाया गया– UPPCB

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलम्बतम् 15 कार्यदिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा उक्त का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, सीतापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईट भट्ठे को जारी निर्देश की प्रति अपने स्तर से प्राप्त कराते हुए जारी निर्देश का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

%c G.C.